



प्रो. आनन्द पाटील
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Prof. Anand Patil
Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

क्रमांक : 003/2025/D.A./336/119
दिनांक : 17.04.2025

कार्यालयादेश

कुलानुशासक मण्डल की दिनांक 01 एवम् 03 अप्रैल 2025 को सम्पन्न बैठकों के कार्यवृत्त में की गयी अनुशंसाओं में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि छात्रावास परिसर में बाह्य ठेकेदार द्वारा जलापूर्ति हेतु उपलब्ध कराये गये पानी के टैंकर को अवैध रूप से स्टार्ट करने, उसकी वायरिंग काटने, उसे अत्यधिक गति से परिसर में चलाने तथा वाहन को क्षतिग्रस्त करने जैसे गम्भीर एवम् अनुशासनहीन कृत्य में निम्नलिखित विद्यार्थियों की संलिप्तता पायी गयी है :

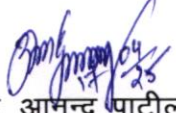
1. श्री कुमार हर्षित विद्यार्थी, बी.सी.ए. षष्ठ छमाही, कक्ष संख्या 14, राजगुरु छात्रावास म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा	3. श्री अकबाल गोस्वामी विद्यार्थी, बी.सी.ए. चतुर्थ छमाही, कक्ष संख्या 59, चंद्रशेखर आजाद छात्रावास म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
2. श्री सुशांत प्रियंकर विद्यार्थी, बी.सी.ए. चतुर्थ छमाही, कक्ष संख्या 08, राजगुरु छात्रावास म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा	4. श्री रवि शंकर विद्यार्थी, बी.सी.ए. चतुर्थ छमाही, कक्ष संख्या 115, सुखदेव छात्रावास, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

इन विद्यार्थियों द्वारा उपर्युक्त आचरण को स्वीकार किये जाने के कारण, उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके पाठ्यक्रम की समाप्ति तक छात्रावास से निष्कासित किया जाता है।

विशेष रूप से, श्री कुमार हर्षित, बी.सी.ए., षष्ठ छमाही, कक्ष संख्या-08, राजगुरु छात्रावास को भविष्य में विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की स्थिति में छात्रावास सुविधा हेतु अर्ह नहीं माना जाएगा।

उक्त प्रकरण में टैंकर स्वामी द्वारा प्रस्तुत ₹15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की क्षतिपूर्ति राशि चारों छात्रों द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी, तथा यह राशि एक सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय के अधिकृत बैंक खाता संख्या : 972110210000005 (बैंक ऑफ इंडिया), IFSC: BKID0009721 में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाता है।


(प्रो. आनन्द पाटील)

प्रति (ई-मेल द्वारा) : संबंधित छात्रगण ।

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

- | | |
|---|---|
| 1. कुलपति सचिवालय | 8. मुख्य छात्रावास अधीक्षक |
| 2. अधिष्ठाता, भाषा विद्यापीठ | 9. परीक्षा नियन्त्रक (कार्यवाहक) |
| 3. अध्यक्ष, भाषा प्रौद्यो. एवं भाषा अभि. विभाग | 10. वित्ताधिकारी (कार्यवाहक) |
| 4. प्रभारी, भाषा प्रौद्यो. एवं भाषा अभि. विभाग | 11. समस्त छात्रावास अधीक्षक |
| 5. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, निदेशक
एवम् केन्द्र निदेशक | 12. सहायक क्षेत्रीय निदेशक (अकादमिक) |
| 6. अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण | 13. प्रभारी, लीला, वेबसाइट पर अपलोड हेतु। |
| 7. कुलानुशासक | 14. सुरक्षा अधिकारी |
| | 15. सम्बन्धित पत्रावली |